

उत्तर प्रदेश सरकार  
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2  
संख्या-क0नि0-2-1709 /ग्याह-9(111)/15-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(147)-2015  
दिनांक: 08 दिसम्बर, 2015

### आधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

### संशोधन

- (क) उक्त अनुसूची-एक में, क्रम संख्या 49 की प्रविष्टि में, अर्द्धविराम और शब्द “; पेन्ट करने या वार्निश करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ब्रुश” अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।
- (ख) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 117 पर दी गयी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् :-
- “117—टूथ ब्रुश से निल अन्य ब्रुश ; पेन्ट करने या वार्निश करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ब्रुश से फिल अन्य ब्रुश”

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)  
विशेष सचिव।